

प्रेस नोट – थाना कम्पिल

दिनांक :- 16.12.2024

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 182/2024 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये 02 नफर अभियुक्तगण को किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री जय सिंह परिहार के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 182/2024 धारा 309(6) व बढोत्तरी धारा 317(2) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को थाना क्षेत्र कम्पिल से गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. गीतम शाक्य पुत्र अवधेश शाक्य निवासी ग्राम अंगदपुर थाना राजा का रामपुर जनपद एटा
2. हरवेन्द्र सिंह यादव पुत्र प्रताप सिंह निवासी नगला मोहन थाना पटियाली जनपद कासगंज

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 12.12.2024 को वादी श्री हितेन्द्र सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी गढिया जगन्नाथ थाना राजा का रामपुर जनपद एटा के साथ मोटरसाइकिल सवार 04 व्यक्ति द्वारा वादी की चलती मोटरसाइकिल में लात मारकर गिरा देना तथा वादी के साथ गाली गलौज व मारपीट कर तमंचा दिखाकर वादी के 27,000 रुपये, मोटरसाइकिल UP 82 AJ 3409, आधार कार्ड, पैनकार्ड, डीएल व दुकान, मकान की चाबियाँ लूटकर ले जाने के सम्बन्ध में दिनांक 13.12.2024 को थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0- 182/24 धारा- 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

पूछताछ का विवरण:- प्रकाश में आये गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने बताया कि साहब हम बेरोजगार है। अपना खर्च चलाने के लिए लोगों के साथ लूटपाट कर लेते है। दिनांक 12.12.24 की शाम को हम दोनों व हमारे दो साथी 1. सन्दीप शाक्य पुत्र नेम सिंह शाक्य निवासी अंगदपुर थाना राजा का रामपुर जनपद एटा 2. सुमित पुत्र किशनपाल यादव निवासी पहलादपुर थाना जैथरा जनपद एटा ने राइडर मोटर साइकिल UP 16 EJ 1027 से पीछा करके पप्पू यादव की मार्केट के आगे एक व्यक्ति से मोटर साइकिल को धक्का मारकर गिराकर इन्हीं तमन्चों को दिखाकर डराकर मारपीट करके पैसे, मोटर साइकिल , बैग लूटा था। पैसा हम चारों ने आपस में बाँट लिया था हम दोनों को 6700 -6700 रूपये व सन्दीप व सुमित ने 6800-6800 रूपये लिये थे तथा मोटर साइकिल एचएफ डीलक्स अभी हमारे पास है। तथा बैग सन्दीप व सुमित ले गये थे। कुछ पैसे हमने अपनी मौज मस्ती में खर्च किये है। जो पैसे हम लोगो के पास है उसी लूट के है जो बच गये थे। हम लोगों को पता चला था कि थाना कम्पिल पर मुकदमा लिख गया है तथा पुलिस हम लोगों को तलाश कर रही है इसलिए कही जाने के लिए हम यहाँ बैठे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद मोटर साइकिल
2. 9500 रूपये नगद
3. 02 अदद तमन्चा 315 बोर
4. 04 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष विश्वनाथ आर्य
2. उ0नि0 उदयवीर सिंह
3. हे0का0 इशारार अहमद
4. का0 संजय कुमार
5. का0 मुन्वेन्द्र

गिरफ्तार करने वाली सर्विलांस पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विशेष कुमार
2. हे0का0 करन यादव
3. हे0का0 संदीप राव
4. हे0का0 सचिन्द्र चौहान
5. हे0का0 अनुराग कुमार

गिरफ्तार करने वाली एसओजी पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सचिन सिंह चौधरी
2. उ0नि0 श्री राजेश राय
3. उ0नि0 श्री गजराज सिंह
4. हे0का0 बलवीर सिंह
5. का0 दिव्यांशु
6. का0 विकासचन्द्र
7. का0 विनोद कुमार
8. आरक्षी चालक सूरज कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़



